अतिआवश्यक आज ही जारी हो।

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक : प 5(31) साप्र / 3 / 82 जयपुर, दिनांक- 2/4/2010

-:आदेश:-

मंत्रिमण्डल की आज्ञा 27 / 2005 की पालना में इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 29.04.05 द्वारा माननीय मंत्रिगण / राज्यमंत्रिगण के निवास पर स्थापित राजकीय दूरभाष पर कॉल्स की सीमा निर्धारित की गई थी।

मंत्रिमण्डल की आज्ञा 81 / 2010 की अनुपालना में माननीय मंत्रिगण / राज्यमंत्रिगण को उनके निवास पर देय राजकीय टेलीफोन पर कॉल्स की सीमा एतद् द्वारा पुनः निम्नानुसार निर्धारित की जाती है।

1. माननीय मंत्रीगण :- 20000 कॉल्स प्रति दो माह
2. राज्य मंत्रीगण :- 17000 कॉल्स प्रति दो माह

यह आदेश दिनांक 01.04.10 से प्रभावी होंगे। राज्यमंत्रीगण को प्रदत्त सुविधायें संसदीय सचिव गण को भी देय होंगी। स्थायी लैण्ड लाईन टेलीफोन / पोस्ट पेड मोबाइल टेलीफोन के अतिरिक्त ब्राड बैण्ड व इंटरनेट भी मॉडम सहित की सुविधायें भी उपरोक्तानुसार निर्धारित कॉल्स सीमा के अर्न्तगत अनुज्ञेय होंगी।

आज्ञा से,

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, महा महिम राज्यपाल।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
4. महालेखाकार राजस्थान
5. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण / संसदीय सचिवगण।
6. उप सचिव, मुख्य सचिव राजस्थान।
7. उप शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय को उनकी आज्ञा क्रमांक 81 / 2010 दिनांक 01.04.10 के संदर्भ में प्रेषित है।
8. मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि मान. मंत्रीगण / राज्यमंत्रीगण को स्वीकृत की गयी मोबाइल / ब्राड बैण्ड सुविधा के बिलों के भुगतान की कॉल्स राशि लैण्ड लाइन टेलीफोन के लिये निर्धारित कॉल्स सीमा के अर्न्तगत ही होगी। बिलों का रिकॉर्ड संधारित कर रखा जाये।
9. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग
11. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव